फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री भरत पाण्डिया निवासी सेवन्त्री तहसील गढ़बोर जिला राजसमन्द — अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर — प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 70 / 2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक **16.09..2025** पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर से जरिये पत्र क्रमांक– भू.अ. / सू.अ.अ.2025 / 2683–2684 दिनांक 04.09.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी श्री भरत पण्डिया निवासी सेवन्त्री द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना दिनांक 04.09.2025 को जरिये डाक प्रार्थी के पते पर भिजवा दी गई है। आवेदन ऑनलाईन होने एवं तकनीकी कारणो से सूचना देने में विलम्ब हुआ है अतः निवेदन है कि भविष्य में इस प्रकार की सूचना में विलम्ब नहीं होगा। अतः निवेदन है कि प्रार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी गई है अतः अपील निस्तारित करने की कृपा करावे। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 1 से 3 की सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर द्वारा पत्र क्रमांक– भू.अ. / सू.अ.अ. 2025 / 2681–2682 दिनांक 04.09.2025 से अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 1 की सूचना उपलब्ध करवा दी एवं शेष बिन्दु संख्या 2 व 3 के संबंध में चाही गई सूचना रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने से उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर द्वारा अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 1 से 3 की सूचना में से बिन्दु संख्या 1 की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई एवं बिन्दु संख्या 2 तथा 3 की सूचना कार्यालय रिकॉर्ड में उपलब्ध नही होने से और उक्त बाबत अपीलार्थी को सूचित कर दिया जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीदार गढ़बोर को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर) राजसमंद	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)